उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश :: जबलपुर ::

//ज्ञापन//

क्रमांक........डी/4265/ जबलपुर, दिनांक.....27...../अगस्त/2021

प्रति,

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,
उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर,
समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
समस्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय :— मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु विशेष नगद पैकेज योजना का क्रियान्वयन बाबत्।

संदर्भ :— म.प्र. शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र0 /एफ/1517/4—01/2020/नियम/चार, भोपाल, दि. 28.11.2020।

000

उपरोक्त संदर्भित, विषयांतर्गत लेख है कि न्यायिक अधिकारीगणों को मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु क्रियान्वित की जा रही विशेष नगद पैकेज योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता आती है अथवा नहीं के संबंध में इस रजिस्ट्री के ज्ञापन क्र0 डी/923, दिनांक 26 फरवरी 2021 द्वारा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल से मार्गदर्शन मांगा गया था, जिसके तारतम्य में विधि विभाग द्वारा पत्र क्र0 1228/21—ब(एक), दि 19.03.2021 प्रेषित करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया है, तदुपरांत इस रजिस्ट्री के ज्ञापन क्र0 डी/1808, दि0 04.06.2021 एवं स्मरण पत्र क्र0 डी/2282, दि0 09.07.2021 द्वारा पुनः मार्गदर्शन चाहा गया है जो कि वर्तमान दिनांक तक अप्राप्त है। वर्तमान में विधि विभाग से पत्राचार जारी है, जो कि इस रजिस्ट्री को प्राप्त होने पर तदानुसार आपको सूचित किया जावेगा।

संलग्नः— विधि विभाग से पत्राचार
संबंधी पत्रों की छायाप्रति।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश :: जबलपुर ::

/ / ज्ञापन / /

क्रमांक D/923 /   जबलपुर, दिनांक 26 / फरवरी / 2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
प्रथम तल, विंध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) ।

विषय :- मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु विशेष नगद पैकेज योजना का क्रियान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।

संदर्भ :- 1. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, ई2(ए) ब्रांच, नई दिल्ली, दिनांक 12.10.2020

2. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र0 / एफ / 1517 / 4–01 / 2020 / नियम / चार, भोपाल, दिनांक 28 नवंबर 2020।

000

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है कि इस रजिस्ट्री में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को संदर्भित ज्ञापन क्रमांक 01 के तारतम्य में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत किराया के बदले में विशेष नगद पैकेज योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

अतः कृपया मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें कि न्यायिक अधिकारियों को संदर्भित ज्ञापन क्रमांक 02 के अनुक्रम मे उल्लिखित मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु क्रियान्वित की जा रही विशेष नगद पैकेज योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता आती है अथवा नहीं।

संलग्न :- संदर्भित ज्ञापन एवं
पत्र की छायाप्रति।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
O/C

स्पीड पोस्ट

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 1228 / 21–ब(एक) / 2021 भोपाल, दिनांक 19.03.2021

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,
उच्च न्यायालय,
जबलपुर, मध्यप्रदेश

विषय :– मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु विशेष नगद पैकेज योजना का क्रियान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन बावत्।

संदर्भ :– आपका ज्ञापन क्रमांक डी / 923 जबलपुर, दिनांक 26.02.2021

––00––

उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दी जा रही छुट्टी यात्रा रियायत किराया के बदले में विशेष नगद पैकेज योजना एवं मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु क्रियान्वित की जा रही विशेष नगद पैकेज योजना दोनों पृथक–पृथक हैं।

म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ / 1517 / 4–01 / 2020 / नियम / चार, भोपाल दिनांक 28.11.2020 के द्वारा शासकीय सेवकों जो लाभ दिए गए हैं उसमें कहीं भी इस आशय का उल्लेख नहीं है कि क्रेन्द्र सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र क्रमांक E II(A) Branch नई दिल्ली, दिनांक 12.10.2020 के द्वारा शासकीय सेवकों को प्राप्त छुट्टी यात्रा रियायत के लाभ के साथ उक्त लाभ प्राप्त नहीं होगा अर्थात् दोनों पैकेज का लाभ मिलेगा।

(प्रमुख सचिव, विधि द्वारा अनुमोदित।)

(संतोष प्रसाद शुक्ल)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
26 MAR 2021
Reg No. 519
Receipt Clerk
High Court Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश :: जबलपुर ::

// ज्ञापन //

क्रमांक D/1808 /   जबलपुर, दिनांक 04 / 06 / 2021

प्रति,

अतिरिक्त सचिव,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
प्रथम तल, विंध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) ।

विषय — मध्यप्रदेश के शासकीय सेवको हेतु विशेष नगद पैकेज योजना का क्रियान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

संदर्भ — विधि विभाग मार्गदर्शन पत्र क्र 1228 / 21 ब(एक) / 21, दिनांक 19.03.2021

000

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कृपया जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें कि "मध्यप्रदेश के शासकीय सेवको को विशेष नगद पैकेज योजना का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध मे आपके द्वारा जारी किए गए संदर्भित मार्गदर्शन पत्र क्र0 1228 / 21–ब(एक) / 2021, दिनांक 19.03.2021 जारी करने के पूर्व "क्या म.प्र. शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल से अनुमोदन प्राप्त किया गया है अथवा नहीं" ।

संलग्न – संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
O/C

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश :: जबलपुर ::

// स्मरण–पत्र //

क्रमांक D/2282/ जबलपुर दिनांक 09 जुलाई 2021

प्रति

अतिरिक्त सचिव,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
प्रथम तल, विंध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) ।

विषय :– मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु विशेष नगद पैकेज योजना का क्रियान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन बावत।

संदर्भ :– उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर का ज्ञापन क्र0 डी/1808 दिनांक 04.06.2021 एवं विधि विभाग मार्गदर्शन पत्र क्र. 1228/21–ब(एक)/21 दिनांक 19.03.2021

000

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत पुनः अनुरोध है कि कृपया जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें कि ''मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को विशेष नगद पैकेज योजना का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में आपके द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन पत्र क्र0 1228/21–ब(एक)/2021, दिनांक 19.03.2021 जारी करने के पूर्व ''क्या म.प्र. शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल से अनुमोदन प्राप्त किया गया है अथवा नहीं'' ।

संलग्नः– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
O/C